

स० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ...

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                       | बीमारी का नाम                | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                   | 3                            | 4              | 5                                          |
| 1       | माहे तलत<br>पिता— नौशाद आलम<br>ग्राम— दल्लेगौव<br>पो०+थाना— पाठामारी<br>जिला— किशनगंज<br>यूएचआईडी नं०— 108673004                    | बोन मैरो<br>ट्रांसप्लाट      | 5,00,000       | पाँच लाख<br>स्वीकृत।                       |
| 2       | नसीमा खातून<br>पति— हसमत मियां<br>ग्राम— नजीबा<br>पो०+थाना— सहाजितपुर<br>जिला— सारण<br>यूएचआईडी नं०— 108570874                      | अप्लास्टिक<br>एनेमिया        | 1,00,000       | एक लाख<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 3       | तेतरी देवी<br>पति— सतनारायण सहनी<br>ग्राम— यदुनन्दनपुर<br>पो०— माहीपुरा<br>थाना— जन्दाहा<br>जिला— वैशाली<br>यूएचआईडी नं०— 108916692 | Severe<br>Aplastic<br>Anemia | 1,00,000       | एक लाख<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
|         |                                                                                                                                     |                              | 7,00,000       |                                            |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,000/- (सात लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688... द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1836 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक ....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                          | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                      | 3                  | 4              | 5                         |
| 1       | अंशु कुमार<br>पिता- कृष्णा कुमार<br>ग्राम- कोटवा<br>पो०- यादवपुर धुखराहा<br>थाना- गोपालगंज<br>जिला- गोपालगंज<br>यूएचआईडी न०- 107783025 | हृदय रोग<br>टीओएफ  | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत।         |
| 2       | जुबेदा खातून<br>पति- मो० रईसुद्दीन<br>ग्राम- बलवाट<br>पो०- बटुरबारी<br>थाना- ताराबाडी<br>जिला- अररिया<br>यूएचआईडी न०- 100466337        | हृदय रोग<br>एमभीआर | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                        |                    | 2,10,000       |                           |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभियों को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1837 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं० 002688.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/2026  
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                             | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                         | 3             | 4              | 5               |
| 1       | रेखा झा<br>पति- देवेन्द्र झा<br>ग्राम- शंकरपुर<br>पो०- काको<br>थाना- भैरवस्थान<br>जिला- मधुबनी<br>यूएचआईडी नं०- 108337083 | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                           |               | 1,00,000       |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002688 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 23/6/2026

ज्ञापाक 1838(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक. ....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                              | बीमारी का नाम             | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                          | 3                         |                | 4                                       |
| 1       | तनुज कुमार<br>पिता- रामचन्द्र प्रसाद<br>ग्राम- लक्ष्मीपुर जजुआर<br>पो०- जजुआर<br>थाना- कटरा<br>जिला- मुजफ्फरपुर<br>यूएचआईडी नं०- 107412890 | Drug Constant<br>Epilepsy | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
|         |                                                                                                                                            |                           | 1,00,000       |                                         |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002688... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584644, खाता धारक का नाम-AIIMS NEURO SURGERY PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी

बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1839 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/6/26  
निदेशक प्रमुख



स0 स0 14 / एम 11-1 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
धर्मशीला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,  
वसुन्धरा इनक्लेव, नियर अशोकनगर मेट्रो स्टेशन,  
दिल्ली 110096

पटना, दिनांक .....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                       | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि  | राशि शब्दों में |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                      | 3             | 4               | 5               |
| 1       | सोनामती देवी<br>पति- राजेंद्र प्रसाद राय<br>ग्राम- नेमुरा<br>पो0- धनेजा<br>थाना- करगहर<br>जिला- रोहतास | कैंसर रोग     | 1,00,000        | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                        |               | रु0 1,00,000 /- |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000 /- (एक लाख) भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002688... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 001494600001402, खाता धारक का नाम- DHARAMSHILA NARAYANA SUPERSPECIALITY HOSPITAL, खाते का प्रकार- SAVING, बैंक का नाम- YES BANK LIMITED, शाखा का नाम- SECTOR-63 NOIDA (UP), RTGS/IFSC कोड सं0 YESB0000014 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1840(14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002688...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1  
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक ....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                        | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                       | 3                  | 4              | 5                |
| 1       | सुदर्शन सिंह<br>पिता- शंकर सिंह<br>ग्राम+पो०- कैतुका लच्छी<br>थाना- अमनौर<br>जिला- सारण                                                                 | कैसर रोग           | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।  |
| 2       | मनीष कुमार राज<br>पिता- अशोक प्रसाद गुप्ता<br>ग्राम- लक्ष्मी निवास पिरमुहानी<br>कदमकुआ<br>लेन नं०-3<br>पोस्ट- कदमकुआ<br>थाना- गाँधी मैदान<br>जिला- पटना | गुर्दा प्रत्यारोपण | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                                         |                    | 4,00,000       |                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-“इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1841(14)

पटना, दिनांक

23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...02688...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी (मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०  
ओखला रोड,  
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक. ....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                         | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                        | 3                   | 4              | 5                         |
| 1       | परवेज कौसर<br>पिता- नसीरुद्दीन अहमद<br>ग्राम- मलदहिया पोखरिया<br>पो०- नरकटीयागज<br>थाना- शिकरपुर<br>जिला- पश्चिम चम्पारण | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
| 2       | मो० समशेर अली<br>पिता- रेयाज अहमद<br>ग्राम- पिपरा<br>पो०- पिपरा नारायण<br>थाना- जी बी नगर<br>जिला- सिवान                 | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                          |                     | ₹ 3,00,000     |                           |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 /-(तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 006-297816-001, खाता धारक का नाम- स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatic शाखा का नाम- Mumbai RTGS/IFSC कोड सं०-HSBC 0400002 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1842 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/ एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Medanta Hospital,  
Sector-A, Pocket 1,  
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,  
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक... ..

विषय:- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                               | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में।                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                           | 3                   | 4              | 5                                    |
| 1       | क्रिता देवी<br>पति- रमेश राय<br>ग्राम- बांसघाट मसूरिया<br>पो०- महारानी<br>थाना- महम्मदपुर<br>जिला- गोपालगंज | Carotid Stenting    | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2       | गोल्डन राईन<br>पिता- कियामु राईन<br>ग्राम- कोचस<br>पोस्ट- कोचस<br>थाना- कोचस<br>जिला- रोहतास                | ब्रेन ट्यूमर सर्जरी | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।                      |
|         |                                                                                                             |                     | 2,00,000       |                                      |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1843 (14)

पटना, दिनांक

23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 102688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
23/6/26



सं० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                 | बीमारी का नाम                | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                            | 4              | 5                                          |
| 1       | प्राजल शाही<br>पिता- पंकज कुमार सिंह<br>ग्राम- चैनपुर<br>पो०- चैनपुर हाटा<br>थाना- हथुआ<br>जिला- गोपालगंज<br>सीआर नं०- 20251255591            | कैसर रोग                     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।                            |
| 2       | B/o प्रियका कुमारी<br>पिता- अरविन्द कुमार<br>ग्राम- सगुनिया<br>पो०- बटसार<br>थाना- धौरैया<br>जिला- बाका<br>सीआर नं०- 2026387796               | Neural Tube Defete (Surgery) | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।       |
| 3       | मुकेश कुमार<br>पिता- टुनटुन सिंह<br>ग्राम- काली मंदिर काली नगर<br>सोहनी पट्टी पो०- बक्सर<br>थाना- मोडल<br>जिला- बक्सर<br>सीआर नं०- 2025430663 | गुर्दा प्रत्यारोपन           | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत।                           |
| 4       | इशरावती कुमारी<br>पिता- सुदामा यादव<br>ग्राम- सिरसिया<br>पो०- मुसहरी<br>थाना- भोरे<br>जिला- गोपालगंज<br>सीआर नं०- 20241200966                 | सीएपीडी                      | 75,000         | पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |

|    |                                                                                                                                             |                     |          |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
| 5  | पवन कुमार<br>पिता- अमलेश राय<br>ग्राम- छोटा ब्रह्मपुर<br>पो0+थाना- भगवान बाजार<br>जिला- सारण<br>सीआर न0- 2024284895                         | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत।                 |
| 6  | रजीत राम<br>पिता- भुटेली राम<br>ग्राम- मठगरीब पो0- बहलोलपुर<br>थाना- चकिया<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न0- 2026512158                   | कैसर रोग            | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                           |
| 7  | प्रकाश कुमार<br>पिता- महेद्र शर्मा<br>ग्राम- रसलपुर भितिया<br>पो0+थाना- जहानाबाद<br>जिला- जहानाबाद<br>सीआर न0- 2017807527                   | B/L ADPKD           | 50,000   | पचास हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
| 8  | वीरेंद्र प्रसाद<br>पिता- स्व0 शिव कुमार सेठ<br>ग्राम+पो0+थाना- बिक्रमगज<br>जिला- रोहतास<br>सीआर न0- 2022760345                              | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।                |
| 9  | अभिषेक कुमार<br>पिता- ललितेश्वर कुमार<br>ग्राम+पो0- धोबवल धुपनगर<br>थाना- खैरा<br>जिला- सारण<br>सीआर न0- 2024900090                         | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।                |
| 10 | रागेश कुमार पाण्डेय<br>पिता- कल्प नाथ पाण्डेय<br>ग्राम- जैतिया पांडेय टोला<br>पो0- जयछपरा थाना- मांझी<br>जिला- सारण<br>सीआर नं0- 2015047392 | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।                |
| 11 | रजनीश कुमार<br>पिता- सुबाष प्रसाद<br>ग्राम- मिसकरही मठिया भैरवा<br>पो0- गैरवा थाना- मैरवा<br>जिला- सिवान<br>सीआर न0- 2021384322             | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।                |
| 12 | रोहित कुमार<br>पिता- रामजी प्रसाद<br>ग्राम- जानकी सीन बरी बाजार<br>वार्ड 08<br>पो0+थाना- सीतामढी<br>जिला- सीतामढी<br>सीआर न0- 20251186164   | DCLD/ Ascites       | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे।    |

|    |                                                                                                                                     |                           |           |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 13 | हसन तारा खातून<br>पति— मो० इस्मोदीन<br>ग्राम— कपरपुरा<br>पो०— झिरवा<br>थाना— उचकागांव<br>जिला— गोपालगंज<br>सीआर न०— 2023406293      | IPAF                      | 50,000    | पचास हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में।       |
| 14 | अकुश कुमार<br>पिता— पप्पू साह<br>ग्राम+पो०— बसडीला खान<br>थाना— गोपालगंज<br>जिला— गोपालगंज<br>सीआर नं०— 2025445981                  | INS/SDNS                  | 50,000    | पचास हजार स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में।       |
| 15 | रोहित कुमार<br>पिता— ओमप्रकाश भगत<br>ग्राम— जादोपुर शुकुल<br>पो०— जादोपुर<br>थाना— यादोपुर<br>जिला— गोपालगंज<br>सीआर न०— 2019373486 | हृदय रोग<br>एमबीआर        | 1,50,000  | एक लाख पचास<br>हजार स्वीकृत।                     |
| 16 | रेनू देवी<br>पति— नारायण साह<br>ग्राम+पो०— बिशम्भरापुर<br>थाना— कल्याणपुर<br>जिला— पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न०— 2026494574            | Lap Simple<br>Nephrectomy | 75,000    | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 17 | अनवर अहमद<br>पिता— रोज मोहमद मियां<br>ग्राम+पो०— मच्छरगांवा<br>थाना— योगापट्टी<br>जिला— पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न०— 2026512877       | कैसर रोग                  | 80,000    | अस्सी हजार स्वीकृत।                              |
|    |                                                                                                                                     |                           | 19,20,000 |                                                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,20,000/- (उन्नीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 102688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम—"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम—एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 22/6/2024

ज्ञापाक

1844(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/24  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक, /अधीक्षक  
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान  
संस्थान, गोमती नगर  
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                         | बीमारी का नाम     | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                 | 4              | 5                   |
| 1       | पुष्पा देवी<br>पति- धनंजय साह<br>ग्राम- फरुसहा<br>पो०- बाजुडीह महुअवा<br>थाना- विजयीपुर<br>जिला- गोपालगज | हृदय रोग<br>एएसडी | 85,000         | पचासी हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                          |                   | 85,000         |                     |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1845 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/26  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक...

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                  | बीमारी का नाम                 | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                              | 3                             |                | 5                                                |
| 1       | मशा कुमारी<br>पति- चन्दन यादव<br>ग्राम- सखेलीपुर<br>पो०- कर्मनाशा<br>थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न०- 8299554 | हृदय रोग<br>एएसडी             | 85,000         | पचासी हजार<br>स्वीकृत।                           |
| 2       | काशीनाथ यादव<br>पिता- प्रभु यादव<br>ग्राम- सरैया<br>पो०- कर्मनाशा<br>थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न०- 4312482 | Inflammatori Bowel<br>Disease | 75,000         | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 3       | सीमा देवी<br>पति- मनीष कुमार पाण्डेय<br>ग्राम+पो०- सिकरौर<br>थाना- शिवसागर<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी न०- 7940485               | कैसर रोग                      | 1,00,000       | एक लाख<br>स्वीकृत।                               |
| 4       | कलावती देवी<br>पति- श्रीधर शर्मा<br>ग्राम- बरहेता गढ<br>पो०- तिलैया<br>थाना- बांकेबाजार<br>जिला- गयाजी<br>एमआरडी न०- 6286200   | कैसर रोग                      | 1,00,000       | एक लाख<br>स्वीकृत।                               |

|    |                                                                                                                             |                                              |            |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 5  | शांति देवी<br>पति- सत्यनारायण राम<br>ग्राम- महुअरी<br>पो0- उपरी<br>थाना- रामगढ<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0- 7110464    | कैसर रोग                                     | 80,000     | अस्सी हजार<br>स्वीकृत।                        |
| 6  | मधु सिंह<br>पति- राम प्रवेश सिंह<br>ग्राम- बहुअरा<br>पो0- छोटका अमाव<br>थाना- चाद<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी न0- 7514598 | IBD UC                                       | 50,000     | पचास हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।  |
| 7  | रामबचन साह<br>पिता- रामदत्त साह<br>ग्राम+पो0+थाना- कोचस<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी न0- 8129543                               | हृदय रोग<br>RBBB                             | 50,000     | पचास हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे।  |
| 8  | मीना कुमारी<br>पति- राधेश्याम सिंह<br>ग्राम+पो0+थाना- कोचस<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी न0- 4935757                            | कैसर रोग                                     | 1,00,000   | एक लाख<br>स्वीकृत।                            |
| 9  | मोहित कुमार<br>पिता- राजनारायण सिंह<br>ग्राम- मझौली<br>पो0- दधवा<br>थाना- दिनारा<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी न0- 8052110      | Spondylo Arthropathy<br>(AXIAL + Peripheral) | 50,000     | पचास हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 10 | हृदय नारायण पाठक<br>पिता- चंद्रदेव पाठक<br>ग्राम- एकौनी<br>पो0- डिघीटा<br>थाना- कोचस<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी नं0- 8350314 | हृदय रोग<br>पीटीसीए                          | 1,35,000   | एक लाख पैंतीस<br>हजार स्वीकृत।                |
|    |                                                                                                                             |                                              | ₹ 8,25,000 |                                               |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,25,000/- (आठ लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002668... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का



प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड रा0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1846 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/23  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक  
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडील रोड,  
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक. .... .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                           | बीमारी का नाम                 | अनुदान की राशि    | राशि शब्दों में     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                                       | 3                             | 4                 | 5                   |
| 1       | पार्वती देवी<br>पति- बहादुर बिद<br>ग्राम- सिकठी<br>पो०- अखलासपुर थाना- भभुआ<br>जिला- कैमूर भभुआ                         | कैंसर रोग                     | 1,00,000          | एक लाख स्वीकृत।     |
| 2       | सुरेन्द्र सिंह<br>पिता- झूरी सिंह<br>ग्राम- रामपुर डेरा<br>पो०- चदेश थाना- कुढनी<br>जिला- कैमूर भभुआ                    | कैंसर रोग                     | 80,000            | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3       | दिलीप कुमार<br>पिता- कृष्णा सहनी<br>ग्राम- छोटा बरियारपुर<br>पो०- मोतिहारी कोर्ट<br>थाना- छतौनी<br>जिला- पूर्वी चम्पारण | कैंसर रोग                     | 80,000            | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4       | अनिल कुमार सिंह<br>पिता- महावीर सिंह<br>ग्राम+पो०- बी टी बिगहा<br>थाना- शेरघाटी जिला- गयाजी                             | कैंसर रोग                     | 80,000            | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 5       | विजय कुमार सिंह<br>पिता- गनपत सिंह<br>ग्राम- भलुआडी<br>पोस्ट- बडकी खरारी<br>थाना- करगहर जिला- रोहतास                    | ड्रामा<br>मल्टीपल<br>फ्रैक्चर | 90,000            | नब्बे हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                         |                               | <b>₹ 4,30,000</b> |                     |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,30,000/-**(चार लाख तीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002688.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1847(14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

## निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

होमी भाभा कैंसर अस्पताल

घंटी मिल रोड, लहरतारा,

ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा

वाराणसी 221002

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                                 | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | राम चंद्र प्रसाद<br>पिता- स्व० खूबलाल साव<br>ग्राम- पावरगंज बागेश्वरी गुमटी<br>पो०- रेलवे स्टेशन थाना- कोतवाली<br>जिला- गयाजी<br>केस फाईल न०-<br>18एफ2026/006082 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 2       | उमानाथ सिंह<br>पिता- सिदेश्वर सिंह<br>ग्राम- पुनौल पो०- चोवार<br>थाना- टनकुप्पा<br>जिला- गयाजी<br>केस फाईल न०- सीएन/11196                                        | कैंसर रोग     | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3       | सहदेव प्रसाद शर्मा<br>पिता- ईश्वर दयाल शर्मा<br>ग्राम- नीचलीडीह चरकावा<br>पो०+थाना- रफीगज<br>जिला- औरंगाबाद<br>केस फाईल न०-<br>16एफ2023/000449                   | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 4       | राम संजीवन सिंह<br>पिता- राम आझा सिंह<br>ग्राम- यमुना बराही<br>पो०- कमलदह थाना- बथनाहा<br>जिला- सीतामढी<br>केस फाईल न०- केई/80108                                | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |

|    |                                                                                                                                                                    |          |          |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| 5  | श्रीकाति देवी<br>पति— देवेद्र दिवेदी<br>ग्राम— धमनियां<br>पो0— गडहनी<br>थाना— अगिआव<br>जिला— भोजपुर<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2026 / 005826                          | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत ।     |
| 6  | शबनम खातून<br>पिता— मुनीम मिया<br>ग्राम+पो0— डरैला<br>थाना— गुठनी<br>जिला— सिवान<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2024 / 005417                                             | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत ।     |
| 7  | विकास कुमार<br>पिता— धानो यादव<br>ग्राम— मोहनपुर<br>पो0+थाना— सरमेरा<br>जिला— नालदा<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2025 / 001192                                          | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत ।     |
| 8  | नीरज उपाध्याय<br>पिता— महेंद्र उपध्याय<br>ग्राम— सिझुआ<br>पो0— ऊपरी<br>थाना— रामगढ<br>जिला— कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2025 / 008285                       | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत ।     |
| 9  | बालेश्वर साह<br>पिता— स्व0 शिवनाथ साह<br>ग्राम— पगरा<br>पो0— सहडिगरी<br>थाना— विजयीपुर<br>जिला— गोपालगंज<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2026 / 002487                     | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत ।     |
| 10 | चद्र भूषण दुबे<br>पिता— रामाकांत दुबे<br>ग्राम— नियर सीता राम आश्रम तिवारी<br>टोला<br>पो0+थाना— बगहा<br>जिला— पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2025 / 007871 | कैसर रोग | 80,000   | अस्सी हजार स्वीकृत । |

|    |                                                                                                                                          |          |          |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 11 | शोभा देवी<br>पिता- अमीत कुमार सिंह<br>ग्राम- चोखडा<br>पो0- मनिका<br>थाना- मदनपुर<br>जिला- औरंगाबाद<br>केस फाईल नं0-<br>18एफ2026 / 003325 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 12 | कालिया कुंवर<br>पिता- स्व0 राम बेलस राम<br>ग्राम+पो0- बाराधी<br>थाना- भभुआ<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं0-<br>18एफ2026 / 007427     | कैसर रोग | 80,000   | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | मजू देवी<br>पति- जय प्रकाश शाह<br>ग्राम- राजपुर<br>पो0- हथुआ राजपुर<br>थाना- राजपुर<br>जिला- बक्सर<br>केस फाईल नं0-<br>18एफ2025 / 020125 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 14 | श्रवण महतो<br>पिता- बासुदेव महतो<br>ग्राम- निमानवादा<br>पो0- मनियाड्डा<br>थाना- जमुई<br>जिला- जमुई<br>केस फाईल नं0-<br>18एफ2025 / 022477 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 15 | मास्टर अमन कुमार<br>पिता- रमेश मेहता<br>ग्राम- दहगामा<br>पो0- डुमरी<br>थाना- करजाईन<br>जिला- सुपौल<br>केस फाईल नं0-<br>16एफ2026 / 001106 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 16 | राज कुमार सिंह<br>पिता- रबिन्द्र सिंह<br>ग्राम- पटेढा<br>पो0- बलहु<br>थाना- दरौली<br>जिला- सिवान<br>केस फाईल नं0-<br>18एफ2023 / 002723   | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |

|    |                                                                                                                                                      |           |           |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 17 | छाया कुमारी कुशवाहा<br>पिता/पति- रितेश कुमार सिंह<br>ग्राम- बासुदेवा<br>पो0- भदर<br>थाना- बासुदेवा<br>जिला- बक्सर<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2026/007376 | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।     |
| 18 | गीता कुमारी<br>पति- डबलू कुमार<br>ग्राम- मगला गौरी गेट के अंदर<br>पो0- चौद चौरा<br>थाना- विष्णुपद<br>जिला- गयाजी<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2025/013822  | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।     |
| 19 | हरेद्र कुमार<br>पिता- सिंगासन सिंह<br>ग्राम- गरुरा<br>पो0- देवमार्काण्डेय<br>थाना- काराकाट<br>जिला- रोहतास<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2024/008980        | कैंसर रोग | 80,000    | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 20 | विजयनाथ मिश्रा<br>पिता- रामाधर मिश्रा<br>ग्राम+पो0- परसिया<br>थाना- जगदीशपुर<br>जिला- भोजपुर<br>केस फाईल न0-<br>18एफ2026/008306                      | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।     |
| 21 | गनौरी सिंह<br>पिता- राम नगीना सिंह<br>ग्राम- बेल्हरिया<br>पो0+थाना- टिकारी<br>जिला- गयाजी<br>केस फाईल नं0-<br>11एफ2025/020443                        | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।     |
|    |                                                                                                                                                      |           | 20,20,000 |                     |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,20,000/- (बीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002688.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- सेंट्रल

बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1848 (14)

पटना, दिनांक— 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002688...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आर्. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0 स0 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
MANI SUPERSPECIALITY HOSPITAL,  
N 10/75 B. KAKARMATTA, BLW,  
VARANASI- 221004

पटना, दिनांक... . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                            | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1       | 2                                                                                                        | 3                  |                | 5                        |
| 1       | गणेश कुमार<br>पिता— अशोक कुमार<br>ग्राम— सपुल्हगज<br>पो०+थाना— सासाराम<br>जिला— रोहतास                   | हृदय रोग<br>एमबीआर | 1,00,000       | एक लाख<br>स्वीकृत।       |
| 2       | गुप्तेश्वर दुबे<br>पिता— परशुराम दुबे<br>ग्राम— नरौरा<br>पो०— चन्द्रकैथी<br>थाना— चेनारी<br>जिला— रोहतास | ट्रामा             | 75,000         | पचहत्तर हजार<br>स्वीकृत। |
|         |                                                                                                          |                    | ₹ 1,75,000     |                          |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/— (एक लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 921020000003177, खाता धारक का नाम— MANII MEDICAL CARE SERVICES PRIVATE LIMITED, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— AXIS BANK, शाखा का नाम— RAMKATORA, RTGS/IFSC कोड सं०— UTIB0002768 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1849(14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002668 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/ एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                  | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                 | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | गौतम कुमार<br>पिता- स्व० गोपाल प्रसाद<br>ग्राम- पीरमुहानी गली न०- 01 पो०-<br>कदमकुआ<br>थाना- गांधी मैदान<br>जिला- पटना<br>केस फाईल न०- सीयू/34211 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 2       | शिव कुमार<br>पिता- इन्द्रसेन प्रसाद<br>ग्राम- पुरानी बाजार पसनौली<br>पो०+थाना- महाराजगंज<br>जिला- सिवान<br>केस फाईल न०- सीआर/11332                | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 3       | राजू कुमार<br>पिता- राम बिहारी पासवान<br>ग्राम- रायपुर<br>पो०- गोही<br>थाना- वारिसनगर<br>जिला- समस्तीपुर<br>केस फाईल न०- 19एफ2025/003238          | कैंसर रोग     | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                                   |               | 2,80,000       |                     |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा

स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1850(14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/26  
निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड  
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                     | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                   | 4              | 5                           |
| 1       | रविन्द्र कुमार<br>पिता- अर्जुन प्रसाद<br>ग्राम- आनंदपुरा<br>पो०- कादिरगंज<br>थाना- नवादा<br>जिला- नवादा<br>सीएमसी न०- एएन 30715   | कैसर रोग            | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।             |
| 2       | प्रमिला देवी<br>पति- महेन्द्र प्रसाद<br>ग्राम- बल्लमीचक<br>पो०- अनिशाबाद<br>थाना- गर्दनीबाग<br>जिला- पटना<br>सीएमसी न०- एपी 49267 | हृदय रोग<br>बीएमभी  | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत।           |
| 3       | दिनेश शर्मा<br>पिता- रघुनाथ शर्मा<br>ग्राम- रसूलपुर<br>पो०+थाना- नयागाव<br>जिला- सारण<br>सीएमसी न०- एपी 28036                     | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000       | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| 4       | रितेश कुमार<br>पिता- अयोध्या चौधरी<br>ग्राम+पो०- दारानगर<br>थाना- नवहटा<br>जिला- रोहतास<br>सीएमसी न०- एपी 34735                   | कैसर रोग            | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।             |

|    |                                                                                                                                        |                       |           |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 5  | राहुल कुमार<br>पिता- अरविन्द सिंह<br>ग्राम+पो0- सननपुरा<br>थाना- ओबरा<br>जिला- औरंगाबाद<br>सीएमसी न0- एन 34606                         | ब्रेन ट्यूमर सर्जरी   | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।            |
| 6  | तरुण कुमार बनर्जी<br>पिता- एम एन बनर्जी<br>ग्राम- महादेवनगर<br>पो0+थाना- शेखपुरा<br>जिला- शेखपुरा<br>सीएमसी न0- 963913 एच              | कैसर रोग              | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।            |
| 7  | तारा देवी<br>पति- महाबीर यादव<br>ग्राम- छोटीमिसिया<br>पो0- हुसैना<br>थाना- सरमेरा<br>जिला- नालंदा<br>सीएमसी न0- एडी 64050              | कैसर रोग              | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।            |
| 8  | मो0 जिशान सैफ<br>पिता- मो0 साहब उद्दीन<br>ग्राम+पो0+थाना- सरमेरा<br>जिला- नालंदा<br>सीएमसी न0- 639974 पी                               | कैसर रोग              | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।            |
| 9  | पायल ठाकुर<br>पति- उज्जल चंद्र ठाकुर<br>ग्राम- महादेव नगर<br>पो0+थाना- शेखपुरा<br>जिला- शेखपुरा<br>सीएमसी नं0- 184771 एफ               | कैसर रोग              | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।            |
| 10 | मास्टर फैशल हाफिज<br>पिता- अब्दुल हाफिज<br>ग्राम+पो0+थाना- सरमेरा<br>जिला- नालंदा<br>सीएमसी न0- 817693 एफ                              | बोन मैरो ट्रांसप्लांट | 4,00,000  | चार लाख स्वीकृत।           |
| 11 | बासुदेव प्रसाद<br>पिता- राम नारायण प्रसाद<br>ग्राम- बट्टा रामपुर<br>पो0- मननपुर<br>थाना- चानन<br>जिला- लखीसराय<br>सीएमसी न0- 466131 जी | बोन मैरो ट्रांसप्लांट | 4,50,000  | चार लाख पचास हजार स्वीकृत। |
|    |                                                                                                                                        |                       | 17,45,000 |                            |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,45,000/- (सत्रह लाख पैतालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002688... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता ।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1851(14)

पटना, दिनांक 23/6/2021

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एड रिसर्च, चंडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक ..

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                              | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                  | 4              | 5                            |
| 1       | कुणाल किशोर<br>पिता— प्रेम शंकर प्रसाद<br>ग्राम— सुभाष नगर छतौनी ढाका रोड<br>पो०— मोतिहारी<br>थाना— छतौनी<br>जिला— पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न०— 202601268105 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000       | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                                            |                    | 2,75,000       |                              |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०— 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002688... ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10413583830 खाता धारक का नाम—“डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी० ” खाते का प्रकार— चालू बैंक का नाम— एस० बी० आई०, शाखा का नाम— मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार



अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1852 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,  
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज  
एडं रिसर्च सेंटर बी०जे० मेडिकल कालेज  
एडं सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा  
अहमदाबाद-380016

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता<br>तथा अस्पताल की<br>निबंधन संख्या                                                             | बीमारी का<br>नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                                  | 3                     | 4              | 5                |
| 1       | किशन कुमार शीतल राम<br>पिता- शीतल राम<br>ग्राम- भगवानपुर सिमरा<br>पो०- लालू छपरा<br>थाना- पारु<br>जिला- मुजफ्फरपुर | गुर्दा<br>प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                    |                       | ₹ 3,00,000     |                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० -353501011014063 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एडं रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- युनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-Civil Hospital Compound Branch, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० UBIN 0558486 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1853 (14)

पटना, दिनांक 23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Shalby Multi - Specialty Hospital,  
Part 5 & 6 R. S. Bhandari Marg,  
Near Janjeerwala Square,  
Indore (M.P.) 452003

पटना, दिनांक ... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 17.06.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                         | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                     | 3                  |                | 5                |
| 1       | दीपक कुमार गुप्ता<br>पिता— ओम प्रकाश गुप्ता<br>ग्राम— रामनगर नई बस्ती<br>पो०+थाना— मनेर<br>जिला— पटना | गुर्दा प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                       |                    | ₹ 3,00,000     |                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002688 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200015805837, खाता धारक का नाम— Shalby Limited, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— HDFC Bank, शाखा का नाम— 7 Race Course Indore, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001240 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1854(14)

पटना, दिनांक

23/6/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002688 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) // आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख